

:- आदेश :-

राजस्थान ग्रामीण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम 2008 के नियम 20 में उपलब्ध प्रावधानों के अंतर्गत चयन समिति की सिफारिश पर ग्रामीण चिकित्सा अधिकारी के पद पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को ग्रामीण चिकित्सा अधिकारी के पद पर वेतनमान 8000-275-13500 में कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ7(2)डीओपी/ए-11/2005 दिनांक 20/01/06 के प्रावधानान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) रुपये 7950/- प्रतिमाह की दर पर अस्थाई रूप से दो वर्ष के प्रोबेशन काल पर कार्यग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति प्रदान कर इनका पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थानों पर किया जाता है:-

क्रम सं०	नाम चिकित्सा अधिकारी व पता	मेरिट सं०	जन्मतिथि	वर्ग	पदस्थापन स्थान
1.	डा. वासुदेव मिश्रा, पुत्र श्री हरिश चन्द्र मिश्रा, नारायण भवन, गली नं. 4, तापडया हवेली के पास, जसवन्तगढ, नागौर-341304	123	24-06-72	Gen	प्रा0स्वा0केन्द्र जसवन्तगढ (नागौर)
2.	डॉ० पुष्पेन्द्र शर्मा, पुत्र श्री मदन लाल शर्मा, 11/69, मालवीय नगर, जयपुर 302017	276	28-10-79	Gen	प्रा0स्वा0केन्द्र रूपाहेलीकलां (भीलवाडा)
3.	डा० नवनीत शर्मा पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा 22/4 चौटाला रोड गली न० 2 संगरिया जिला हनुमानगढ 335063	281	01-10-80	Gen	प्रा0स्वा0केन्द्र दीनगढ (हनुमानगढ)
4.	डॉ० संजय गर्ग, पुत्र श्री रतन चन्द गुप्ता, द्वारा श्री एम.एल.मित्तल, 9 सी सादुलगंज, मेडिकल कॉलेज के पास, बीकानेर	287	16-11-70	Gen	सामु0स्वा0केन्द्र कोलायत (बीकानेर)
5.	डॉ० रवि प्रकाश पुत्र श्री लोकचंद, 97, सिंधी कॉलोनी, बनीपार्क, जयपुर-302016	305	22-06-76	Gen	प्रा0स्वा0केन्द्र साईवाड (जयपुर)
6.	डा० ज्ञान प्रकाश गौड पुत्र श्री रमेश चन्द गौड ई-159/सी कटारिया कॉलोनी राम नगर विस्तार सोडाला जयपुर 302019	404	13-11-79	Gen	प्रा0स्वा0केन्द्र गोटियाना (अजमेर)
7.	डा० नितिन शर्मा पुत्र श्री सुरेश चन्द्र शर्मा एन-51 नीलकण्ठ डा० कच्छावा के पास करणीनगर पवनपुरी बीकानेर 334001	498	02-10-81	Gen	प्रा0स्वा0केन्द्र रावला (श्रीगंगानगर)
8.	डा. भीमसेन गोदारा पुत्र श्री बिरदाराम गोदारा द्वारा श्री गोपाराम डूडी, सी-10/11, पटेल नगर, हरियाणा भवन के सामने, बीकानेर	571	11-01-76	OB C	प्रा0स्वा0केन्द्र जांगलू (बीकानेर)
9.	डा. उमेश कुमार, पुत्र श्री शिवनाथ वर्मा, 80/370, न्याय पथ, पटेल मार्ग, मानसरोवर, जयपुर-302020	801	02-05-77	Gen	सामु0स्वा0केन्द्र खीवसर (नागौर)

10.	डा. राकेश कुमार पुत्र श्री हरफूल सिंह 10, प्रेम नगर, पुरानी चुगी, अजमेर रोड, जयपुर	895	15-11-80	OB C	सामु0स्वा0केन्द्र मांडलगढ (भीलवाडा)
11.	डा. सीताराम महरिया, पुत्र श्री भाईलाल महरिया, ग्रा. पो. सेट्टी कलॉ, शुन्शुनू	983	10-01-77	SC	प्रा0स्वा0केन्द्र काकोडा (शुंशुनु)
12.	डॉ0 पवन गंगवाल, पुत्र श्री बी0 पी0 गंगवाल, 28, शिवपुरी, कालवाड रोड, झोटवाडा, जयपुर-302012	984	11-12-77	SC	प्रा0स्वा0केन्द्र पांचवा (नागौर)
13.	डॉ. अशोक कुमार कानोडिया पुत्र श्री सुभाष चन्द्र वर्मा, प्लाट न. सी-364 महेश नगर गोपालपुरा, जयपुर	1181	14-11-71	SC	सामु0स्वा0केन्द्र मेडतासिटी (नागौर)
14.	डॉ विजय रजक पुत्र शम्भु लाल रजक ई.डी 25/26 बापु नगर हीरन मगरी सेक्टर -6 उदयपुर -313002	1203	26-04-81	SC	सामु0स्वा0केन्द्र गोगुन्दा (उदयपुर)

“These appointments are subject to the decisions of S.B. Civil Writ Petition Nos. 7124/08 and 7103/08.

परिवीक्षा अवधि में अन्य सुविधायें एवं अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों आदि में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे।

परिवीक्षा अवधि के संतोषजनक पूर्ण होने के उपरांत ही पद की वेतन श्रृंखला का न्यूनतम एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे। अंशदायी पेंशन योजना परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के बाद लागू होगी।

उपरोक्त चिकित्सकों की जन्म तारीख उनके सैकण्डरी/हाई स्कूल के प्रमाण पत्रों से संबंधित प्रशासनिक अधिकारी द्वारा सत्यापित की जानी है।

उक्त चिकित्सकों की नियुक्ति सक्षम चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त शारीरिक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अध्यक्षीन है।


दिनांक 01/06/02 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान वाले अभ्यार्थी नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे।

इन्हें आदेश प्रसारित होने की तिथि से एक माह की अवधि के भीतर-भीतर तक कार्यग्रहण करना होगा। उक्त अवधि में कार्यभार न संभालने की दशा में उनके नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जावेंगे।

उपरोक्त चिकित्सकों को प्रथमतः अपनी उपस्थिति संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को देनी है, सीधे ही पदस्थापन के स्थान पर कार्यग्रहण नहीं करना है।


जो चिकित्सक पूर्व में तदर्थ/समेकित वेतन पर कार्यरत हैं वे अपना चार्ज संभलाकर कार्यमुक्त होकर ही नवीन स्थान पर कार्यग्रहण करेंगे।

इन्हें पद ग्रहण करने के लिये किसी प्रकार का यात्रा भत्ता अनुदेय नहीं है।

  
 निदेशक (जन स्वा0) 18/1/18  
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
 राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1) निजि सचिव, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- 2) निजि सचिव, माननीय चिकित्सा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
- 3) निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
- 4) सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
- 5) शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (गुप-2), राजस्थान, जयपुर।
- 6) संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन, संबंधित।
- 7) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी संबंधित को भेजकर लेख है कि अभ्यर्थियों के कार्यग्रहण के समय संतानों के संबंध में वचन पत्र एवं यदि शादि शुदा हो तो मेरिज सर्टिफिकेट प्राप्त कर मूल ही अभ्यर्थी के कार्यग्रहण की सूचना भिजवाने के समय अनिवार्य रूप से साथ में भिजवावे एवं छाया प्रति आपके कार्यालय हेतु रख लें।
- 8) रजिस्ट्रार, राजस्थान मेडिकल काउंसिल, जयपुर।
- 9) संबंधित चिकित्सक को उनके घर के पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा।
- 10) संबंधित डीलिंग असिस्टेंट को अभ्यर्थियों से प्राप्त मूल आवेदन पत्र मय संलग्न दस्तावेजों के, संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक से प्राप्त मूल चरित्र सत्यापन एवं चिकित्सक द्वारा प्रस्तुत सत्यापन रोल आदि सहित।
- 11) आदेश पत्रावली / निजि पत्रावली।

  
निदेशक (जन स्वा0)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान, जयपुर।